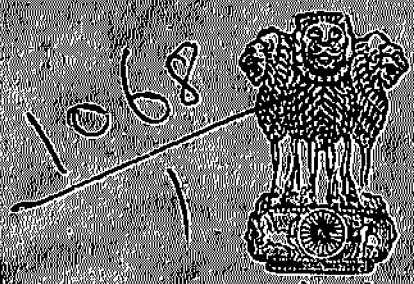

सत्यमेव जयते

खंड ४ | संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि १ फरवरी, १९५४

Vol. IV | No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Monday, the 1st February, 1954.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५४।

[मूल्य—६ आना ।]
[*Price Annas 6.*]

यह परिस्थिति भारत सरकार के निर्णय से पैदा हुई है। इस परिस्थिति में सहूलियत पैदा करने का काम स्टेट सरकार का है यह प्रश्न हो सकता है और ऐसी हालत में इसको अल्प-सूचना प्रश्न बना देना ठीक होगा। हम समझते हैं कि इससे संबंधित माननीय मंत्री इस प्रश्न के लिये अपनी इजाजत दे देंगे। जब इस अल्प-सूचना प्रश्न की नोटिस मिल जायेगी तब सरकार की तरफ से इसका उत्तर मिल जायगा।

श्री नरसिंघ नारायण सिंह श्री जमुना प्रसाद "वीर" आदि की रक्षा करने में सरकार की असफलता।

FAILURE OF THE GOVERNMENT TO PROTECT SHRI NARSINGH NARAIN SINGH, SHRI JAMUNA PRASAD "VEER" AND OTHERS.

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री बसावन सिंह का है। मैं समझता हूं कि इसकी सूचना माननीय मंत्री को मिल गयी होगी। इसको भी मैं पढ़ देता हूं:

"The failure of the Government to protect through its local police Shri Narsingh Narain Singh, Shri Jamuna Prasad 'Veer' and others from murderous assault by Shri Mithal Singh, a landlord of village Uchla Bharatal, police-station Barari, district Purnea, while the former were engaged in repairing through voluntary labour a road in the Uchla village on the 14th of this month, the news about which reached my hands yesterday evening."

इस पर सरकार को क्या कहना है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं इसके मुतल्लिक यह निवेदन किया चाहता हूं कि एडजोर्नमेंट मोशन की जो भाषा है उससे यह पता नहीं चलता है कि इसमें सरकारी नौकरों की ओर से क्या त्रुटि हुई है। चूंकि यह एक संगीन विषय है इसलिए मैं श्री बसावन सिंह को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक जल्द हो सकेगा, मैं इस सारी खबर मंगा लूंगा और उसको एक स्टेटमेंट के रूप में या शौर्ट नोटिस के जवाब के रूप में सभा के सामने पेश कर दूंगा।

अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री बसावन सिंह एक स्टेटमेंट के रूप में इसकी खबर चाहते हैं या एक शोर्ट नोटिस के जवाब के रूप में चाहते हैं?

श्री बसावन सिंह—अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको बतला दूं कि यह घटना कैसे हुई है। मैं इस घटना के सिलसिले में किसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—जब इसकी खबर आ जायेगी तब आपको इसको कहने के लिए मौका मिल जायगा।

अध्यक्ष—आप इसकी खबर एक शोर्ट नोटिस सवाल के जरिये या स्टेटमेंट के जरिये चाहते हैं?

श्री रामानन्द तिवारी—शौर्ट नोटिस सवाल होगा तो उस पर सप्लीमेंटरी पूछने के लिए मौका मिल सकता है।

श्री बसावन सिंह—यह बड़ी भयानक घटना हो गयी है। श्री नरसिंह नारायण सिंह जो उचला बाड़ाताल गांव, थाना बरारी, जिला पुर्णियां के रहनेवाले थे, एक पुराने देश सेवक और सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रधान कार्यकर्त्ता थे।

श्री जमुना प्रसाद "वीर" को भी बहुत से लोग जानते हैं। मालूम होता है कि यह झगड़ा कुछ दिनों से चल रहा था लैंड इनक्रोचमेंट के बारे में.....

श्री कमलदेव नारायण सिंह—मेरा एक प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। जहां तक मेरी जानकारी है इस सम्बन्ध में एक केस इन्स्टीच्युट हो चुका है। इसलिए मैं समझता हूं कि पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना ठीक नहीं होगा।

अध्यक्ष—मैं पक्ष या विपक्ष में बोलने नहीं दूंगा। घटना के बारे में जो नोटिस मिली है सिर्फ उसी पर कहना है।

श्री रामचरित्र सिंह—चाहे अल्प-सूचना प्रश्न या सरकार की तरफ से स्टेटमेंट होना है तो फिर आज बोलने की क्या जरूरत है।

अध्यक्ष—आप सिर्फ घटना के बारे में बोलें।

श्री बसावन सिंह—जो चिट्ठी थाना कांग्रेस कमिटी के प्रेसीडेंट के यहां से इस सदन के एक सदस्य के पास आई है उससे यह मालूम होता है कि इन लोगों पर इतना अघात हुआ है कि यह डाइंग डिक्लेरेशन के ऐसा है। खत में लिखा है कि श्री नरसिंह नारायण सिंह और श्री जमुना प्रसाद "वीर" को काफी चोट लगी है। टेलीफोन की बातचीत से मालूम हुआ कि श्री नरसिंह नारायण सिंह मरे तो नहीं हैं, मगर उनकी नाक से खून निकलता है और वे बेहोश हैं और श्री कन्हैया लाल और फेंकन चौधरी की हालत खतरनाक है और मुमकिन है कि वे मर जायंगे। खत में यह भी लिखा हुआ है कि पुलिस ने अभी तक कोई ऐक्शन नहीं लिया है और इस पर सरकार का जवाब होना चाहिए।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—आप एक शौर्ट नोटिस क्वेश्चन दे दें तो मैं टेलीग्राम से इनफारमेशन मंगा कर सवाल का जवाब दे दूंगा।

अध्यक्ष—आप शौर्ट नोटिस क्वेश्चन बनाने के वक्त यह ध्यान में रखें कि यह मैटर सबजूडिस है। इसलिए किसी पक्षपात का भाव उसमें नहीं रहना चाहिए।

(अपराह्न भोजन के लिये अवकाश।)